न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 242/2019 जीसीएमएस संख्या 2019/00133

1. ग्राम पंचायत झाग, तहसील मोजमाबाद, जिला जयपुर जर्ये सरपंच श्री अर्जुनलाल चौधरी।

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसीलमौजमाबाद जिला जयपुर।
2. सचिव आई0 इण्डिया झाग, तहसील मोजमाबाद जिला जयपुर।
3. प्रभारी उप स्वास्थ्य केन्द्र झाग, तहसील मोजमाबाद जिला जयपुर।
4. नाथूराम पुत्र श्री भैरू जाति रैगर, निवासी झाग तहसील मोजमाबाद जिला जयपुर।

—रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू दिनांक 31.07.2019 प्रार्थना पत्र संख्या 78/2019 बउनवानी सरकार बनाम सरपंच ग्राम पंचायत झाग वगै0।

उपस्थित—

1. श्री श्यामबाबू पारीकवकील अपीलान्ट
2. श्री मुकेश शर्मा वकील रेस्पो0 4 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—10.07.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर राजस्थान के निर्णय दिनांक 31.07.2019 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. यह कि संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है, कि यह कि वाके ग्राम झाग तहसील मोजमाबाद स्थित आराजी खसरा नंबर 2193/759 रकबा 2.78 है0 गै0मु0 सार्वजनिक प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायत झाग के नाम खातेदारी की भूमि की तरमीम एवं खसरा नं. 786 व 2224/786 की तरमीम गलत हो जाने से उपखण्ड अधिकारी दूदू के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त खसरा नम्बरान की तरमीम हजफ की जाकर नक्शा जमाबंदी में अंकित रकबा व मौके कब्जे अनुसार तरमीम अंकन के आदेश दिनांक 18.05.2018 को दिये गये। इसकी अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त के होने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 23.10.2018 को अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा गया। तत्पश्चात् तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र विरूद्ध ग्राम पंचायत झाग पेश कर खसरा नं. 2193/759, 763, 2541/763, 790, 2393/759, 2192/759 एवं 759 की तरमीम निरस्त करने एवं 781/2111 के स्थान पर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

786/2111 दर्ज करने की प्रार्थना की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के आदेश दिनांक 31.07.2019 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुरके उक्त निर्णय दिनांक 31.07.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट ग्राम पंचायत झाग तहसील मोजमाबादद्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर दिनांक 31.07.2019 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया किवाके ग्राम झाग तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नंबर 680/2 रकबा 21–13–0 बीघा मे से 11 बीघा भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित करने हेतु सेट अपार्ट की गई जो कि अपीलांट के नाम वर्तमान खसरा नं. 2193/759 रकबा 2.78 है0 सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सेट अपार्टझाग अंकित कर दी गई। नक्शे मे त्रुटिपूर्ण तरीके से 11 बीघा भूमि की जगह 9 बीघा भूमि दर्शाकर शेष 2 बीघा भमि खसरा नं. 786 में शामिल करते हुये दर्शा दिया गया। ग्राम पंचायत झाग के नाम खातेदारी की भूमि की तरमीम एवं खसरा नं. 786 व 2224/786 की तरमीम गलत हो जाने से उपखण्ड अधिकारी दूदू के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त खसरा नम्बरान की तरमीम हजफ की जाकर नक्शा जमाबंदी में अंकित रकबा व मौके कब्जे अनुसार तरमीम अंकन के आदेश दिनांक 18.05.2018 को दिये गये। इसकी अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त के होने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 23.10.2018 को अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा गया। जिसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के यहॉ प्रस्तुत होने पर रिकॉर्ड की यथास्थिति के आदेश दिये गये जिसमे तहसीलदार मौजमाबाद भी पक्षकार उपस्थित थे। स्थगन आदेश होने के बाबजूद भी तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र विरूद्ध ग्राम पंचायत झाग पेश कर खसरा नं. 2193/759, 763, 2541/763, 790, 2393/759, 2192/759 एवं 759 की तरमीम निरस्त करने एवं 781/2111 के स्थान पर 786/2111 दर्ज करने की प्रार्थना की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों पर गोर किये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार द्वारा बिना किसी साक्ष्य व सबूत के अपनी पूर्व रिपोर्ट के विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया है। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 21.06.2018 के अनुसार खसरा नं. 2193/759 का सृजन साबिक खसरा नं. 680/2 से हुआ हैं एवं खसरा नं. 786 का सृजन 680 से हुआ है। इस प्रकार खसरा नं. 680/2 पृथक भूमि है। नक्शे मे त्रुटिपूर्ण तरीके से 11 बीघा भूमि की जगह 9 बीघा भूमि दर्शाकर शेष 2 बीघा भमि खसरा नं. 786 में शामिल करते हुये दर्शा दिया गया। इसी प्रकार खसरा नं. 786/2111 का सृजन साबिक खसरा नं. 680 से हुआ है जो नक्शा ट्रेस के अनुसार खसरा नं. 680/2 के उत्तर–पश्चित में अवस्थित है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में अपीलांट की खातेदारी की भूमि 2193/759 रकबा 2–0–0 बीघा हजफ कर उसके स्थान पर 786/2111 जो साबिक खसरा नं. 680 का भाग है को खसरा नं. 680/2 की भूमि में तरमीम करने का त्रुटिपूर्ण आदेश पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों की जॉच व अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर निरस्त किया जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पोडेण्ट/राजकीय अधिवक्ता के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार अभिशंसा के तहत् भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार कर विधिक प्रकिया के तहत ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है किवाके ग्राम झाग तहसील मोजमाबाद स्थित आराजी खसरा नंबर 2193/759 रकबा 2.78 है0 गै0मु0 सार्वजनिक प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायत झाग के नाम सेट अपार्ट अंकन की गई एवं अपीलांट की खातेदारी की भूमि की तरमीम एवं खसरा नं. 786 व 2224/786 की तरमीम गलत हो जाने से उपखण्ड अधिकारी दूदू के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त खसरा नम्बरान की तरमीम हजफ की जाकर साबिक नक्शा जमाबंदी में अंकित रकबा व मौके कब्जे अनुसार तरमीम अंकन के आदेश दिनांक 18.05.2018 को दिये गये। जिसको न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा दिनांक23.10.2018 को यथावत रखा गया। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा ग्राम पंचायत झाग के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर खसरा नं. 2193/759, 763, 2541/763, 790, 2393/759, 2192/759 एवं 759 की तरमीम निरस्त करने एवं 781/2111 के स्थान पर 786/2111 दर्ज करने के अपीलाधीन आदेश पारित कर दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पूर्व निर्णय दिनांक 18.05.2018 एवं तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 21.06.2018का अवलोकन किये बिना ही तरमीम निरस्त किये जाने के अवैधानिक अपीलाधीन आदेश दिये हैं। जो कि उचित एवं विधिसम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 31.07.2019 निरस्त किया जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 10.07.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।